dk;kZy; v/kh{kd] eaMy dkjk] tgkukckn
fufonk lwpuk ¼foÙkh; o"kZ 2017&18½

मंडल कारा, जहानाबाद में वार्षिक अवधि दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 एवं त्रैमासिक अवधि (i) दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.06.2017 (ii) दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.09.2017 (iii) दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.12.2017 एवं (iv) दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.03.2018 तक की अवधि के खाद्यान्न, खाद्य–सामग्री, विविध–सामग्री, आलू, फल एवं मौसमी हरी–सब्जियों, स्टील का थाली–गिलास के क्रय के लिए fnukad 07-02-2017 dks 04%00 cts vijkg~u rd अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। जिसे fnukad 08-02-2017 dks 11%30 cts iwokZg~u जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के निदेशानुसार उप–विकास आयुक्त, जहानाबाद की अध्यक्षता में उनके कार्यालय–कक्ष में कारा क्रय समिति द्वारा निविदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा। निविदा प्रक्रिया के अपूर्ण होने या किसी अपरिहार्य कारणों से सफल नहीं हो पाने की स्थिति में कारा क्रय समिति की बैठक उत्तरवर्ती तिथियों क्रमशः दिनांक 15.02.2017 एवं दिनांक 22.02.2017 को यथा उपयुक्त, निविदा के शेष कार्यों के सम्पन्न करने हेतु आहुत होगी तथा इसके लिए अलग से सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। निविदादाता का स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदाएँ हाथों–हाथ कारा कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदूपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा हस्तगत कराने का प्राप्ति रसीद कारा कार्यालय से आवश्य लेगें अन्यथा विवाद की स्थिति में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। कारा क्रय समिति द्वारा निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दर को या निगोशियेशन द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर दोनो प्रक्रिया यथाआवश्यक स्वीकृत की जाएगी। निविदादाताओं को प्रमुख खाद्यान्नों एवं गुड़ का एक–एक किलो तथा थाली–गिलास एक–एक नग नमूना स्वयं के खर्च पर लाना होगा।

fufonk grq fuEufyf[kr rduhdh 'krsZa gksxh %&

¼1½ अधीक्षक मंडल कारा, जहानाबाद के पदनाम से निविदादाता निविदा आवेदन पत्र देगें जिसमें आवेदक का स्पष्ट नाम, हस्ताक्षर, पूरा पता, अनुलग्नकों का पुरा विवरण, फोन/मोबाईल नम्बर, स्वअभिप्रमाणित हाल का अपना पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ संलग्न आवेदन पर चिपकाना होगा।

¼2½ कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 6952 दिनांक 14.11.07 के अनुसार खाद्य एवं विविध सामग्रियों के निविदा में भाग लेने हेतु अग्रधन (अर्नेस्ट मनी) बैंक गारंटी के रूप में मो0 40,000.00 (चालीस हजार रूपये मात्र) एवं त्रैमासिक अवधि (हरी सब्जी, फल इत्यादि) के लिए मो0 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) अधीक्षक मंडल कारा, जहानाबाद के पदनाम से प्रतिज्ञित कर मूल रूप में देना होगा। जिसे सफल निविदादाताओं के उनके द्वारा लिए गए सामग्री का सत्यंकार राशि जमाकर ठीकाबंध करने के उपरांत वापस कर दिया जाएगा एंव असफल निविदादाता अपने बैंक गारंटी को वापस करने का अनुरोध निविदा प्रक्रिया समाप्ति पर कर वापस ले सकते है।

¼3½ निविदादाताओं को आयकर, वाणिज्यकर का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन अवधि (विगत वर्ष) का आयकर रिर्टन तथा वाणिज्यकर का अद्यतन (विगत वर्ष) के भुगतान का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

खाद्यान्नों, दलहनों के आपूर्ति [k.M d के लिए निविदादाता के फर्म का चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से विगत तीन वित्तीय वर्ष (2015–2016, 2014–15 एवं 2013–14) का अंकेक्षण प्रतिवेदन स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा एवं मूल अभिलेख क्रय समिति द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

¼4½ खाद्यान्न के निविदादाताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अनुज्ञप्ति/पंजीकृत रहना एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

¼5½ निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निकट अवधि छः माह के अन्दर का चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

¼6½ तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ अलग–अलग लिफाफों में देना होगा एवं लिफाफा के उपर स्पष्ट लिखना भी होगा।

(7) निविदादाता को किसी प्रतिष्ठान/संस्थान से कालीकृत नहीं होने या एतद् संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं होने तथा उनपर कोई क्रिमिनल या देनदारी का मुकदमा नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा साथ हीं उनके द्वारा विगत वर्षों में ठीका लेकर ठीकावंध नहीं करने का, आपूर्ति नहीं देने का कोई मामला लम्बित नहीं हो का भी उल्लेख उक्त शपथ पत्र में होना अनिवार्य होगा।

वित्तीय शर्तें:-

(1) प्रत्येक सामग्रियों के लिए मैट्रिक प्रणाली में इकाईवार रूप से दर उल्लेखित करना होगा यथा–प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति मीटर, प्रति नग।

(2) संवेदकों द्वारा निविदा में सामग्री का अंकित दर/बाजार दर से बहुत अधिक या कम रहने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा और निविदा के उस सामग्री के अंकित दर को अमान्य कर दिया जायेगा।

(3) सामग्रियों का दर पूर्णांक में मान्य होगा।

अन्य शर्तें:-

(1) निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में सीलबंद कर देना होगा। एकल निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(2) सभी सामग्रियों की आपूर्ति मैट्रिक प्रणाली में नमूना के अनुरूप वनावन रहित सभी व्यय–करों के साथ कारा भंडार पर आपूरक को अपने बोरों–कंटेनरों जिस पर '' कारा में आपूर्ति हेतु'' लिखा हो, आपूर्ति करना होगा, जिसे खाली होने पर बिना क्षतिपूर्ति आपूरक के मांग पर वापस कर दिया जायेगा, वैसे सामग्री जो कम्पनी के पैकेट/कंटेनरों में होगें खाली होने पर भी वापस नहीं होगा। दतवन, हरी सब्जी, दूध, पनीर, मछली, मांस ताजा एवं आवश्यकता और माँग के अनुरूप दैनिक आधार पर आपूर्ति करना होगा। निविदादाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनका दर स्थानीय बाजार दर के अनुरूप हो। उनके द्वारा अंकित दर बाजार दर से काफी कम अथवा काफी अधिक रहने पर उनके निविदा के उस सामग्री के दर पर विचार नहीं किया जायेगा। आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के लिए वर्ष के चारों त्रैमासिक अवधि की निविदा अलग–अलग पन्नों में ही स्वीकार की जायेगी।

(3) सफल निविदादाताओं को आपूरित होनें वाले सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का 10% सत्यंकार– राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक गारंटी के रूप में काराधीक्षक के पदनाम से प्रतिज्ञित करने के एवं ठीकाबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा। ठीका लेकर मुकर जाने/समय पर आपूर्ति न करने या गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति नहीं करने पर बिना पूर्व सूचना के अन्य स्त्रोत से आपूर्ति ले ली जायेगी तथा इस पर होने वाले अधिकाई व्यय की राशि को संबंधित आपूरक के लंबित विपत्र या सत्यंकार राशि के बैंक गारंटी से समायोजित कर लिया जायेगा एवं भविष्य में होने वाले निविदा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा और कालीकरण की कारवाई भी की जायेगी। कारा क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि निविदादाताओं द्वारा किसी भी सामग्री का व्यवहारनुकूल (Viable) दर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित निविदादाता के उस सामग्री के दर को अमान्य कर दिया जायेगा। आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहने पर आपूर्ति बाधित नहीं करना होगा। क्रय समिति द्वारा प्राप्त नमूना स्वीकार करने पर न्यूनतम दर स्वीकृत किया जायेगा।

(4) सभी निविदाएँ कम्प्यूटर टंकित होना अनिवार्य है, अन्यथा स्वीकार योग्य नहीं होगा एवं ओभर राईटिंग (लिप्त–लेखन) स्वीकार नहीं होगा।

(5) निविदा की जानकारी जहानाबाद जिले के बेवसाईट पर भी देखी जा सकती है।

(6) विशेष जानकारी कार्यालय से एवं ईमेल dj_jahanabad@rediffmail.com, dj.jehanabad@gmail.com तथा दूरभाष संख्या 06114–255000 पर प्राप्त की जा सकती है।

(7) क्रय समिति को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकती है।

(8) सभी सामग्री बनावन रहित एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करना होगा। साथ ही वस्तुओं की दरें सभी आकस्मिक खर्च एवं कारा गोदामों तक पहुँचाने के साथ–साथ सभी प्रभार सहित होगा।

¼9½ सभी संवेदकों के निविदा में प्रयुक्त कागजातों/बैंक गारन्टी की आवश्यकतानुसार जॉच करायी जायेगी। यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

जो निविदादाता जिस खण्ड में निविदा देना चाहते है वे मात्र उसी खण्ड की निविदा देगें न की सभी खण्डों का।

[k.M ^^d^^

foÙkh; o"k 2017&18

1. माध्यम उसना चावल (प्रति किलो) 2. गेहूॅ सफेद (बनावन रहित)(प्रति किलो)
3. चना (प्रति किलो) 4. अरहर दाल (प्रति किलो)
5. मसूर दाल (प्रति किलो) 6. चना दाल (प्रति किलो)
7. पीली चक्की गुड़ (प्रति किलो आवश्यकतानुसार)
8. चाय पत्ती (गोल दाना)(प्रति किलो) 9. चीनी(प्रति किलो)
10. दुग्धचूर्ण (प्रति किलो)– तरल दुध सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर
11. सरसों तेल (धारा ब्राण्ड, प्रति लीटर निर्माणशाला कारा से प्राप्त नही होने पर)
12. कोयला स्टीम ग्रेड–II (प्रति किलो) (कोल डस्ट वजन से 3% घटौती कर)

[k.M ^^[k^^

fnukd& 01-04-2017 l 30-06-2017 ¼iFke =ekfld½ rd d fy, gjh lCth ,o Qy ¼nj izfr fdyks e nuk gkxk½

1. भिण्डी, 2. कटहल (छिलका 5% बाद), 3. बैंगन, 4. कद्दु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. सेम, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. झिगुनी, 12. टमाटर, 13. बोड़ा, 14. कच्चू, 15. परवल, 16. पका केला (प्रति दर्जन), 17 कागजी नीबू (मध्यम आकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20. मुर्गी का अण्डा उबाला हुआ N/F (प्रति नग), 21. आलू (आठ सूत से कम नही), 22. सूखा प्याज 23. खीरा

fnukd& 01-07-2017 l 30-09-2017 ¼f}rh; =ekfld½ rd d fy, gjh lCth ,o Qy ¼nj izfr fdyks e nuk gkxk½

1. भिण्डी, 2. कटहल (छिलका 5% बाद), 3. बैंगन, 4. कद्दु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कन्दा, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. झिगुनी, 12. कुन्दरी, 13. कच्चू, 14. परवल, 15. पका केला (प्रति दर्जन), 16 कागजी नीबू (मध्यम आकार का), 17. सेब, 18. संतरा, 19. मुर्गी का अण्डा उबाला हुआ N/F (प्रति नग), 20. आलू (आठ सूत से कम नही), 21. सूखा प्याज। 22.खीरा

fnukd& 01-10-2017 l 31-12-2017 ¼r`rh; =ekfld½ rd d fy, gjh lCth ,o Qy ¼nj izfr fdyks e nuk gkxk½

1. फुल गोभी (डन्टल रहित), 2. बंधा गोभी (डन्टल रहित), 3. बैंगन, 4. कद्दु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चू, 9. कदीमा, 10. नेनुआ, 11. सेम, 12. टमाटर, 13. भिन्डी, 14. बोड़ा, 15. मूली (पत्ता रहित), 16. पका केला (प्रति दर्जन), 17 कागजी नीबू (मध्यम आकार का), 18. सेब, 19. संतरा, 20. मुर्गी का अण्डा उबाला हुआ N/F (प्रति नग), 21. आलू (आठ सूत से कम नही), 22. सूखा प्याज। 23. खीरा

fnukd& 01-01-2017 l 31-03-2018 ¼prqFk =ekfld½ rd d fy, gjh lCth ,o Qy ¼nj izfr fdyks e nuk gkxk½

1. फुल गोभी (डन्टल रहित), 2. बंधा गोभी (डन्टल रहित), 3. बैंगन, 4. कद्दु, 5. करैला, 6. लाल साग, 7. पालक साग, 8. कच्चू, 9. कदीमा,, 10. टमाटर,, 11. बोड़ा, 12. मूली (पत्ता रहित), 13. पका केला (प्रति दर्जन), 14 कागजी नीबू (मध्यम आकार का), 15. सेब, 16. संतरा, 27. मुर्गी का अण्डा उबाला हुआ N/F (प्रति नग), 18. आलू (आठ सूत से कम नही), 19. सूखा प्याज। 20. खीरा

[k.M ^^x^^

fnukd& 01-04-2017 l; 31-03-2018 rd&

1. हल्दी (हिरोट) (प्र0कि0), 2. नमक (आयोडिन युक्त टाटा/अन्नपूर्णा) (प्र0कि0), 3. अरवा चावल (प्र0कि0) 4. चना का सतु (निर्माणशाला कारा से प्राप्त नहीं होने पर) (प्र0कि0), 5. पनीर (सुधा डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर) (प्र0कि0) 6. दही (सुधार डेयरी से प्राप्त नहीं होने पर) (प्र0कि0), 7. काबुली चना (प्र0कि0), 8 मुर्गा (ब्रायलर) का मांस (प्र0कि0), 9. मछली (रोहू/कतला/ग्रास कार्प/कॉमन कार्प काटकर बनावन रहित) (प्र0कि0) 10. ब्रेड (पावरोटी) निर्माणशाला कारा से प्राप्त नहीं होने पर, 11. रिफाईन्ड (फॉर्चून/नेचर फ्रेश) (प्र0ली0), 12. जलावन लकड़ी (प्र0कि0), 13. चना का भुँजा (प्र0कि0), 14. अंकुरित अनाज (चना/मुंग अलग–अलग) (प्र0कि0), 15. लाईफब्यॉय साबुन (100 ग्राम)(प्रति नग), 16. नारियल तेल (पैरासूट) (100 ml पैकेट), 17. दतवन (नीम या बबूल का)(प्रति सैकड़ा), 18. मिर्चा (सूखा लाल)(प्र0कि0), 19. धनियाँ (सूखा) (प्र0कि0), 20.जीरा (प्र0कि0), 21. गोलकी (प्र0कि0), 22. अदरक (प्र0कि0), 23. लहसून (प्र0कि0), 24. चूड़ा (प्र0कि0), 25. तिलकूट (प्र0कि0), 26. गेहूँ पिसाई (जलती रहित कारा गोदाम से ले जाने तथा पिसा कर वापस लाने का खर्च सहित प्र0कि0), 27.. गरम मशाला 28. सुखा हरा मटर 29. सरसों (प्र0कि0), 30. सेबई 31. मैदा (प्र0कि0), 32. सूजी (प्र0कि0), 33. मिर्च पाउडर(प्र0कि0), 34. सोयाबीन बड़ी (प्र0कि0), 35. तीसी का तेल 36. मोमबत्ती (स्टैंडर्ड साईज), 37. नारियल रस्सी (प्र0कि0), 38. सूतली (प्र0कि0), 39. पटुआ (प्र0कि0), 40. नारियल झाड़ू (प्र0कि0), 41 बॉस की टोकरी (प्र0 न0) 42. ड्रेन ब्रश(प्र0न0), 43. ताड़ का पंखा (प्रति नग), 44. लोहे का पतला तार (प्र0कि0), 45. बॉस का सूप (प्रति नग), 46. बॉस का डगरा (प्रति नग), 47. ताड़ की चटाई (प्रति नग), 48. लालटेन (प्रति नग), 49. लालटेन शीशा (प्रति नग), 50. लालटेन फीता (प्रति मीटर), 51. कली चूना (प्र0कि0), 52. गेरू मिट्टी (प्र0कि0), 53. रामरस मिट्टी (प्र0कि0), 54 चुना ब्रस (प्रति नग) 55. ब्लीचिंग पाउडर (प्र0कि0), 56. मिट्टी का घड़ा (प्रति नग 10 लीटर का), 57. घड़ा का ढ़क्कन (प्रति नग), 58. खाली टीन (बड़ा प्रति नग), 59. खाली डिब्बा (दो किलो का प्रति नग), 60. बॉस बड़ा (प्रति नग), 61. भीम पाउडर (प्रति किलो), 62. वॉसिंग ऍसिड (प्लास्टिक के बोतल में प्रति लिटर), 63. फिनाईल गोली (प्र0कि0) 64. बैट्री (एवेरेडी 1050 Heavy duty) (प्रति नग), 65. बिजली का बल्व 100 वॉट (फिलिप्स का) (प्रति नग), 66. बिजली का बल्व 200 वॉट (फिलिप्स का) (प्रति नग), 67. बिजली का तार (3/20 प्रति मीटर), 68. बिजली का तार (2 एम0एम0 प्रति मीटर), 69. बिजली का तार (4 एम0एम0) (प्रति मीटर), 70. बिजली का तार (6 एम0एम0) (प्रति मीटर), 71. बिजली का तार (8 एम0एम0) (प्रति मीटर), 72. बिजली का तार (1 एम0एम0) (सभी तार एंकर का प्रति मीटर), 73. बल्ब होल्डर (प्रति नग), 74. प्लास्टिक टेप (प्र0रील) 75. फिनीट तेल/बेगॉन तेल (प्रति लीटर), 76. स्प्रे पम्प (प्रति नग), 77. थीन पेपर (प्रति पेकेट), 78. सादा कागज (प्रति जिस्ता), 79. कार्बन (कोरस प्रति 100 नग का पैकेट), 80. रजिस्टर एक जिस्ता, दो जिस्ता, तीन जिस्ता एवं चार जिस्ता (प्रति नग), 81. टैग (50 नग का प्रति गुच्छा), 82. गोंद 750 एम0एल0 कैमल का (प्रति0 डिब्बा), 83. फ्लेट फाईल (प्रति नग), 84. कभर फाईल (प्रति नग), 85. लिफाफा 4''X 8'' एवं 4'' X 5'' (प्रति सैकड़ा), 86. स्टाम्प पैड (प्रति नग), 87. पैड इंक (प्रति नग), 88. पेपर पीन (प्रति पैकेट), 89. छोटी कॉपी (प्रति नग), 90. छाता (के0सी0 पाल का प्रति नग), 91. लालटेन बर्नर (प्रति नग), 92. दिया सलाई (प्रति पैकेट), 93. कम्प्यूटर पेपर A4 (Century) (प्रति 500 नग का पैकेट), 94. कम्प्यूटर पेपर Legal (Century) (प्रति 500 नग का पैकेट), 95. सर्फ(डिटरजेन्ट पाउडर) (50 gms पैकेट), 96. शैम्पू (20 ml पैकेट) (सिर्फ महिला बंदी के लिए), 97. पानी नल का टोंटी (प्लास्टिक) (प्र0नग), 98. लीड पेन (लिखो–फेंको) (प्र0 दर्जन), 99. स्टील का थाली (दस इंच आकार का) (प्र0नग) 100. स्टील का गिलास (आधा लीटर) (प्र0नग)

v/kh{kd]
eMy dkjk] tgkukckn

Kkikd ------------------------@ fnukd 02-01-2017@

ifrfyfi %&

की सेवा में सूचनार्थ।

v/kh{kd
eMy dkjk] tgkukckn